

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पौष्टिक विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार के कर्मियों को उपलब्ध बहिवासी चिकित्सा सुविधा का विस्तार ।  
राज्य सरकार के सेवारत कर्मियों को संकल्प सं० 1443/6 दि० 10.6.75 के अनुसार  
निम्नलिखित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है :-

1. अन्तर्वासी काम में चिकित्सा होने पर उन औषधियों का कीमत का प्रतिपूर्ति की जाती है जिसकी आपूर्ति सरकारी भंडार से नहीं हो पाती है ।  
2. बहिवासी रोगी के रूप में चिकित्सा होने पर बाहर से द्रव्य की गई आवश्यक औषधियों की कीमत का प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती है वरन् इस व्यय के लिए कर्मियों को एक निश्चित रकम मासिक भत्ता के रूप में भुगतान किया जाता है । अपवाद स्वरूप संकल्प सं० 666/6 दि० 16.5.80 में मात्र गंगा, कैटर एवं कुष्ट तथा सं० 5257/24 दि० 8.12.94 में गुदा प्रत्योरोपण एवं हृदय की शल्य चिकित्सा के प्रयात्न संबंधित चिकित्सीय संस्थान में होनेवाली बहिवासी चिकित्सा के क्रम में के द्रव्य की जाने वाली औषधियों एवं जांच पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया है ।

3. राज्य सरकार द्वारा अब यह सुविचारित निर्णय लिया गया है कि लीभर प्रत्यारोपण के मामले में भी संबंधित सरकारी चिकित्सीय संस्थान में होनेवाली बहिवासी चिकित्सा के क्रम में द्रव्य की जानेवाली औषधियों एवं जांच पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । परन्तु विदेश में जांच या चिकित्सा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी ।

4. यह संकल्प वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है ।

बिहार राज्यपाल के आदेशसे,

हो/- डा० विनोद अग्रवाल

अपर आयुक्त सह विशेष सचिव

ज्ञापां० 24/सं० 12-10/99 - 1356(24) /स्वा०, पटना, दिनां० - 2-5-2000

प्रतिनिधि:- अधीक्षक, सचिवालय भुवनेश्वर, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में भीष्ट प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिनिधि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची / सरकार के सभी विभाग /सभी विभागाध्यक्ष/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा० सेवाएं/सभी अशैलिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल / सभी प्रांतीय मेडिकल कॉलेज/सभी अधीक्षक, सदर अस्पताल / सभी उपाधीक्षक, अनुभंडलीय अस्पताल / प्र० पदां०- 24, स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशाखा- 24 के स्वास्थ्य विभाग के सभी सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित ।

1356(24)  
2-5-2000

*Vinod Agrawal*  
अपर आयुक्त सह विशेष सचिव ।

2/3